



## निविदा की समय-सारणी

क्र.सं.	मद	समय-सारणी
1.	कार्य का नाम	कतरे गए पुराने /गंदे नोटों के बुरादो से बनी छोटी ईटों की बिक्री के साथ ब्रिकेटिंग रूम की साफ-सफाई हेतु श्रमिकों की आपूर्ति
2.	ई-निविदा संख्या	RBI/Bhopal/Issue/22/18-19/ET/249
3.	निविदा का मोड	ई निविदा (खुली निविदा) भाग-I : तकनीकी बोली भाग- II : मूल्य बोली ( <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> ) द्वारा
4.	i) कार्य की अनुमानत लागत/ ii) बयाना राशि (ईएमडी) iii) अंतरण फीस	<b>₹ 10.00 लाख (लगभग)</b> <b>₹ 20,000/- बीस हजार मात्र)</b> जिसका भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से किया जाना है । 500/- जीएसटी अतिरिक्त (@18%) अंतरण शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा.
5.	विज्ञापन की तारीख	20.02.2019
6.	भारतीय रिजर्व वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज अपलोड करने की तारीख	20.02.2019
7.	एमएसटीसी की वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तारीख	20.02.2019
8.	बोली पूर्व बैठक का समय एवं स्थान (वैकल्पिक)	26.02.2019
9.	ई-निविदा प्रारंभ करने की तारीख (तकनीकी बोली और मूल्य बोली की प्रस्तुति)	27.02.2019
10.	बयाना राशि और अनुलग्नक-1 जमा करने की अंतिम तारीख	12.03.2019 (मंगलवार, शाम 5:00 बजे)
11.	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे /एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम	12.03.2019 (मंगलवार, शाम 5:00 बजे)



	से अंतरण फीस जमा करने की अंतिम तारीख	
12.	ई-निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	12.03.2019 (मंगलवार, शाम 5:00 बजे)
13.	भाग-I (तकनीकी बोली) एवं ईएमडी खोलने की तारीख एवं समय	13.03.2019 (बुधवार, दोपहर 12:00 बजे)
14.	भाग-II (मूल्य बोली) को खोलने की तारीख एवं समय	13.03.2019 (बुधवार, दोपहर 12:00 बजे)



## निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश एवं विशेष शर्तें

एमएसटीसी से पंजीकृत निविदाकर्ताओं द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल, कतरे हुए पुराने /गंदे नोटों के बुरादों से बनी छोटी ईटों की बिक्री के साथ ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु श्रमिकों की आपूर्ति की निविदाओं को एमएसटीसी के वेब पोर्टल पर पंजीयन के बाद दर्शाया जाएगा।

### क. सामान्य अनुदेश

- 1) भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे बाद में बैंक कहा जायेगा) निविदाकर्ताओं द्वारा अन्य शर्तें तय करने को प्रोत्साहित नहीं करता है।
- 2) निविदा फॉर्म **इलेक्ट्रॉनिक रूप से** (अनुलग्नक-1 को छोड़कर) भरा जाएगा। किसी दस्तावेज़ के अभाव होने की स्थिति में, निविदा के निर्णय पर अमान्य मानी जाएगी। चूंकि अनुलग्नक-1 को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेज़ों को, उपयुक्त, निविदाकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं।
- 3) सभी निविदाएँ, निविदा खोलने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए बैंक की स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। इस अवधि को परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को निरस्त या वापस नहीं करेगा।
- 4) निविदा खोलने के बाद, निविदा की दर या शर्तों में परिवर्तन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5) ब्रिकेट्स के निपटान के लिए संविदा, खरीद के लिए प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली अर्थात् प्रति किलोग्राम कीमत तथा निविदाकर्ता(ओं) के पूर्ववृत्त के आधार पर दी जाएगी। तथापि बैंक स्वयं बाध्य नहीं है कि वह किसी निविदा की उच्चतम कीमत को स्वीकार करें तथा उसके पास यह अधिकार है कि वह किसी एक या सभी निविदाओं को, बिना किसी कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या निरस्त करे।
- 6) यदि यह अवार्ड किया जाता है, तो संविदाकार इस करार को किसी अन्य फर्म को नहीं सोपेगा। वह संविदा के किसी भी भाग का उप-ठेका (sublet) नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए उसे बैंक से लिखित अनुमति लेनी होगी।
- 7) आवेदक के पास निविदा के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए तथा उसका किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता होना चाहिए। उसे बैंक का नाम तथा पता खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
- 8) वर्तमान अनुबंध, संबन्धित दस्तावेज़, जिनमें अनुलग्नक भी शामिल हैं, हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं, दोनों संस्करणों को प्रामाणिक समझा जा रहा है, लेकिन कानूनी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी।



### **ख. बयाना राशि जमा (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा (सेक्युरिटी जमा)**

आवेदक को दिनांक 12.03.2019 को शाम 5:00 बजे या पहले, बयाना राशि रु. 20,000 (रुपए बीस हजार मात्र) को अनुलग्नक 1 के अनुसार एनईएफटी के माध्यम से जमा करनी होगी।

- 1) सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि को बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन तथा विधिवत निर्वाह होने तक प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा।
- 2) सफल निविदाकर्ता के साथ करार का निष्पादन होने पर सभी निविदाकर्ताओं को बयाना राशि जमा वापस कर दी जाएगी।
- 3) प्रतिभूति जमा किये जाने पर, सफल निविदाकर्ता को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ करार का निष्पादन करने में विफल रहता है तो, उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 4) बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति जमा के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) की राशि बैंक में जमा करनी होगी जिसे बैंक द्वारा इस संविदा की मान्यता रहने तथा /या उसकी बढ़ी हुई अवधि तक रखा जाएगा।
- 5) बयाना राशि या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

### **ग. भाग – I ( तकनीकी बोली)**

- 1) निविदा का भाग –I “तकनीकी बोली” होगा जिसमें निविदा फॉर्म रहेगा।
- 2) निविदाकर्ता को उन सभी अनुबंधों का विवरण देना होगा जिनके अंतर्गत उसने इससे पूर्व में ऐसी सेवाएँ प्रदान की हैं।
- 3) तकनीकी बोलियों को दिनांक 13.03.2019 को दोपहर 12 बजे खोला जाएगा।

### **घ. भाग – II ( मूल्य बोली )**

- 1) निविदा के भाग II में केवल “मूल्य बोली” होगी।
- 2) मूल्य केवल “भारतीय रुपए” में, संख्या तथा शब्दों दोनों रूप में उद्धृत करना होगा। संख्या तथा शब्दों में अंतर होने की स्थिति में, शब्दों में उद्धृत मूल्य को मान्य माना जाएगा। निविदाकर्ताओं को ब्रिकेट्स की कीमत प्रति किलोग्राम उद्धृत करनी होगी।
- 3) उद्धृत दरों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर, शुल्क, लेवी शामिल नहीं होंगे। तथापि सभी कर/ड्यूटी/लेवी इत्यादि, जैसे भी लागू हो संविदाकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 4) उद्धृत दरें संविदा की पूरी अवधि (अर्थात् 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए तथा/या बढ़ाई गई अवधि के लिए मान्य रहेगी और एकस्चेंज बदलाव, श्रमिक या रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य परिस्थिति के कारण हुए बदलाव के अधीन नहीं होगी।



5) मूल्य बोली को दिनांक 13.03.2019 को दोपहर 12 बजे खोला जाएगा।

### इ) बैंक तथा संविदाकार के बीच करारनामा

सफल निविदाकर्ता को, दिये गए प्रारूप के अनुसार, बैंक द्वारा सूचित की गई दिनांक से सात दिनों के भीतर एक करारनामा निष्पादित करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति, बैंक तथा निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा, चाहे ऐसा करारनामा बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।

1) करारनामा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, मूल प्रति बैंक के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति संविदाकार के पास रहेगी। मूल प्रति पर स्टॉप ड्यूटी संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

2) यह करार 12 माह की शुरुआती अवधि अर्थात् 01.04.2019 से 31.03.2020 के लिए मान्य होगा। तथापि बैंक के विकल्प पर, संविदाकार के संतोषजनक कार्य और उसकी सहमति के आधार पर, इस अवधि को दो और वर्षों के लिए, किन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, वर्तमान नियमों व शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3) यदि 01 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नया करार किसी भी कारण से क्रियान्वित नहीं हो पाता है तो, संविदाकार को, महाप्रबंधक, निर्गम विभाग के आदेश से, वर्तमान करारनामे की समाप्ति की दिनांक से तीन महीने की आगे की अवधि तक के लिए उन्ही नियम व शर्तों पर कार्य करना होगा।

4) इस करार को दोनों में से किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

5) यदि संविदाकार इस करार के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है या किसी सांविधिक प्रावधान का पालन नहीं कर पाता है तो, बैंक द्वारा संविदाकार को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर देकर यह करार समाप्त किया जा सकता है तथा इस संबंध में बैंक निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

### च. कायस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1. कायस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुरूप, संविदाकार यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक नीति निरूपित करेगा तथा तदनुसार इस अधिनियम के तहत "कर्मचारी" की परिधि में आने वाले किसी भी कार्मिक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के संबंध में, निपटान करने, सुनवाई करने, आवश्यक कार्रवाई करने इत्यादि के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करेगा।

2. इसके कर्मचारी के विरुद्ध बैंक के परिसरों में यदि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत मिलती है तो उक्त शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समीट के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा संविदाकार शिकायत के संबंध में कथित अधीयम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

3. यदि इसमें संविदाकार के कर्मचारी शामिल हो तो किसी भी मोद्रिक हजार्ने के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा।



4. संविदाकार कायस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबिन्धत मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक/शिक्षित करने के लिए जिम्मेवार होगा।

### छ. संविदाकार के सांविधिक तथा संविदा संबंधी दायित्व

1. संविदाकार को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत, जैसा भी लागू हो, आवश्यक सांविधिक अनुमतियाँ/लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. संविदाकार को यह सनिश्चित करना होगा कि इस करार के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए वह केवल वयस्क, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा सक्षम व्यक्तियों को ही तैनात करे, जो कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा किसी जीर्ण या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो।

3. संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबिन्धत कोई सूचना, सामग्री या अन्य विवरण, जो इस करारनामे के संबंध में अपने संविदागत दायित्वों का वहन करते समय संविदाकार के संज्ञान में आती है, को तृतीय पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा तथा हर समय सख्त गोपनीयता का पालन करेगा।

4. इस संविदा के तहत दायित्वों का पालन करने में आवश्यक या लागू कानूनों के अनुपालन को छोड़कर संविदाकार द्वारा संविदा के बाकी विवरण को असावर्जनिक तथा गोपनीय माना जाएगा।

5. संविदाकार को, इस करारनामे के तहत गोपनीय सूचना को प्रकट न करने के अपने दायित्वों को प्रतिपूर्ति सनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में समूचीत कारवाई करनी होगी।

6. संविदाकार किसी गोपनीय सूचना के प्रकट करने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपयुक्त का पालन न करने पर इसे संविदाकार की ओर से इस संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा नुकसानों का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का बैंक हकदार होगा।

7. अप्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व, किसी भी परिस्थिति में, इस करारनामे की समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे।

8. इस करार से या इसके संबंध में होने वाले सभी विवाद भोपाल में हुए माने जाएँगे तथा उन पर निर्णय देने का अधिकार केवल भोपाल में स्थित अदालतों को ही निहित रहेगा।

में/हम एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त अनुदेश पढ़ लिए तथा समझ लिए हैं।

साक्ष्य के हस्ताक्षर

साक्ष्य के नाम

साक्ष्य का पता

दिनांक

(निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)



अनुलग्नक I

**एनईएफटी जानकारी**

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल

पता – होशंगाबाद रोड, भोपाल , 462 001

1	खाताधारक का नाम (बैंक खाते के अनुसार)	भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल
2	<b>खाता संख्या</b>	<b>186003001</b>
3	खाते का प्रकार	चालू खाता
4	<b>PAN क्रमांक</b>	<b>AAIFR 5286M</b>
5	बैंक का नाम	<b>RBI, भोपाल</b>
6	शाखा का नाम	<b>RBI, भोपाल</b>
7	Address of the Bank	<b>RBI, भोपाल</b>
8	<b>NEFT/IFS कोड</b>	<b>RBIS0BLPA01</b>
		<b>(0 अर्थात शून्य)</b>
9	खाते का नाम	<b>RBI, NEFT, Inward Received</b>
10	GSTIN	<b>23AAIFR5286M120</b>



## अनुलग्नक - II

**कतरे गए पुराने /गंदे नोटों के बुरादो से बनी छोटी ईटों की बिक्री के साथ ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु श्रमिकों की आपूर्ति के करार के लिए नियम व शर्तें**

1. संविदाकार को “जैसा है जहां है” के आधार पर एकत्रित हुई ब्रिकेट्स के बैगो को सप्ताह में कम से कम एक बार/दो बार तथा /या बैंक के आदेशानुसार उठाना होगा।
2. संविदाकार को ब्रिकेट्स (45 किलोग्राम तक) को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता के खाली बैग, मांग अनुसार, अपनी लागत पर प्रदान करने होंगे।
3. बैंक अपने निर्णयानुसार, संविदाकार द्वारा उठाये जाने के लिए, ब्रिकेट्स के बैगो के क्रमबद्ध ढेर लगाने की व्यवस्था करेगा।
4. संविदाकार सभी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) या बैंक के आदेशानुसार, केवल 9:30 प्रातः से 5:30 साँय की समयवधि में, केवल बैंक स्टाफ की उपस्थिती में ब्रिकेट्स के बैगो को उठाने के लिए श्रम तथा दुलाई की व्यवस्था करेगा।
5. ठेकेदार द्वारा, करार की अवधि के दौरान, ब्रिकेट्स को बैगों में भरने एवं ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु स्वयं के व्यय पर तीन मजदूर (दो सुबह की शिफ्ट के लिए एवं एक शाम की शिफ्ट के लिए) उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार द्वारा उनके मजदूरों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाना आवश्यक है।
6. ठेकेदार ब्रिकेट्स के बैगों को बैंक में अस्थायी भंडार स्थल पर इस तरह रखेगा कि ब्रिकेट्स भंडार स्थल में काम में किसी प्रकार की बाधा न आये। ब्रिकेटिंग रुम के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7. संविदाकार इलेक्ट्रॉनिक मोड/एनईएफटी के माध्यम से बैंक को अनुमोदित दरों पर भुगतान करने के बाद, बैंक परिसर से ब्रिकेट्स बैग को उठाएगा तथा ले जाएगा।
8. संविदाकार सभी लागू करों (जीएसटी,टीसीएस इत्यादि) को वहन करेगा और तदानुसार बैंक को भुगतान करेगा।
9. ठेकेदार ब्रिकेट्स के अंतिम उपयोग के बारे में बैंक को सूचित करेगा तथा वह यह वचन भी देगा की इनके उपयोग से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा।
10. संविदाकार यह हलफनामा प्रस्तुत करेगा कि ब्रिकेट्स का निपटान केंद्रीय सरकार तथा/या किसी राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अधिनियम/नियम/ विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके निपटान से वातावरण प्रदूषण नहीं होगा।
11. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिकेट्स ले जाते समय सावधानी / सतर्कता बरती जाये ताकि ब्रिकेट्स रास्ते में न गिरने पाये तथा किसी गलत / अज्ञात व्यक्ति के हाथ न लगें।



12. संविदाकार बैंक परिसर में प्रवेश करते/बाहर जाते समय, स्वयं/श्रमिक/वाहनो के लिए उचित सुरक्षा पास प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा। यह उसकी जिम्मेवारी होगी कि सभी लिखित सत्यापन/प्रमाणन वतर्मान समय के तथा मान्य हो।
13. यदि संविदाकार दर्शाई गयी अवधि के अनुसार यदि ठेकेदार समय से ब्रिकेट्स के बैग भंडार स्थल से नहीं उठाता तो बैंक अपने विवेकानुसार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है तथा बैगों को हटाने की पूरी लागत संविदाकार की प्रतिभूति जमा से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक के आदेशों के अनुसार कार्य पूरा न करने के ऐसे प्रत्येक अवसर पर, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल द्वारा संविदाकार पर रु.1,000/- का दंड लगाया जा सकता है तथा इसकी वसूली भी प्रतिभूति जमा से की जाएगी।
14. किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पूर्व क्षेत्रीय निदेशक द्वारा विधिवत सुनवाई का मौका संविदाकार को दिया जाएगा। तथापि क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा।
15. संविदा के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों के उल्लंघन होने पर, यदि कोई है, द्वारा संविदा अमान्य हो जाएगी। मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त अनुदेश पढ़ लिए तथा समझ लिए हैं।

साक्ष्य के हस्ताक्षर  
साक्ष्य के नाम  
साक्ष्य का पता  
दिनांक

(निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)



## निविदा फॉर्म

### भाग- I: तकनीकी बोली

#### 1. निविदाकार का विवरण

1.	व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्था/स्वत्वधारी का नाम	
2.	पता	
3.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	
4.	ई-मेल	
5.	पैन नंबर	
6.	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जीएसटीआईएन	
7.	व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण	

#### 2. बैंक खाता विवरण

1.	बैंक का नाम	
2.	बैंक शाखा का पता, आईएफएससी संख्या	
3.	बैंक खाते का प्रकार एवं खाता संख्या	
4.	चूक का विवरण, यदि को हो	



3. क्या निविदाकार के पास ब्रिकेट्स ढुलाई के लिए अपनी परिवहन व्यवस्था है:

हाँ/नहीं

(1) यदि हाँ तो, संक्षिप्त विवरण के साथ स्वयं के वाहनों की संख्या:

4. समान प्रकार की सेवाए प्रदान करने में अनुभव:

कार्यालय/कंपनी का नाम	पता व टेलीफ़ोन न.	संविदा की अवधि

5. बयाना राशि जमा (ईएमडी) का विवरण

राशि \_\_\_\_\_ रूपये

दिनांक \_\_\_\_\_

जारी करने वाले बैंक शाखा का नाम/पता \_\_\_\_\_

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम और शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

(\_\_\_\_\_)

(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टम्प/सील सहित)



## भाग II – अमूल्यांकित बोली

मद	इकाई	प्रति किलो दर (रु.) (कर, अतिरिक्त)	
		संख्या में	शब्दों में
नोटों के चूरे से बनी ईंटे (ब्रिकेट्स)	किलोग्राम		

में भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम व शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

(\_\_\_\_\_)

(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टम्प/सील सहित)